न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री छगनलाल गोयल, आर.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या — 9/2019

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
रूगनाथाराम पुत्र गणेशारामजी, कौम मेघवंशी,साकिन चौराउ, तहसील सायला, जिला जालोर		1.दलाराम पुत्र गणेशारामजी 2.जैसाराम पुत्र गणेशारामजी 3.सांवलाराम पुत्र गणेशारामजी 4.जेपाराम पुत्र गणेशारामजी 5.फुलाराम पुत्र गणेशारामजी समस्त कौम मेघवंशी, साकिनान चौराउ,तहसील सायला , जिला जालोर 6.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सायला

अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध आदेश तहसीलदार सायला दिनांक 15.7.2016(क्रमांक 1064–67)
व नामान्तरकरण सं. 1947दिनांक 15.7.2016

उपस्थिति :–

1.श्री भंवरलाल सोलंकी,श्री केशाराम सोलंकी,अभिभाषक,अपीलांट की ओर से।

2.श्री नैनसिंह राजपुरोहित, श्री राजाराम, अभिभाषक,रेस्पोडेन्ट सं.1 से 5 की ओर से।

3.श्री छोटूसिंह,सरकारी अभिभाषक,रेस्पोडेन्ट सं.6 की ओर से।

निर्णय — दिनांक 24.7.2019

1. अपीलांट के अनुसार अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा चौराउ के खसरा नम्बर 123 रकबा 2.85 हेक्टर,खसरा नम्बर 124रकबा 0.90 हेक्टर, खसरा नम्बर 847रकबा 5.55 हेक्टर, खसरा नम्बर 856रकबा 1.93हेक्टर, खसरा नम्बर 857 रकबा 0.54 हेक्टर कुल रकबा 11.77 हेक्टर की आई हुई है इसी प्रकार वर्तमान खसरा नम्बर 870 रकबा 0.09 हेक्टर,खसरा नम्बर 871 रकबा0.01 हेक्टर,खसरा नम्बर 872 रकबा 3.71हेक्टर कुल रकबा 3.81 हेक्टर की आई हुई है जिसके खातेदार अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 5 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। अपीलांट का

इसी आराजी पर 1/6 हिस्सा दर्ज था, अपीलांट व रेस्पोडेन्ट के बीच आपसी बंटवाडा तहसीलदार सायला द्वारा दिनांक 15.7.2016को निष्पादित किया गया जिसमें अपीलांट को 2.57 हेक्टर भूमि, रेस्पोडेन्ट सं.1को 2.31 हेक्टर भूमि,रेस्पोडेन्ट सं.2 को 2.57 हेक्टर भूमि , रेस्पोडेन्ट सं.3 को 2.30 हेक्टर भूमि , रेस्पोडेन्ट सं. 4 को 2.30 हेक्टर भूमि, रेस्पोडेन्ट सं. 5 को 2.31 हेक्टर भूमि एवं रेस्पोडेन्ट सं. 1,3,4,5के सामलाती भूमि का कुल रकबा 1.22 हेक्टर भूमि बंटवाडा में दी गई तथा उसी आधार पर बिना तहसीलदार सायला के स्वीकृत बंटवाडा का नामान्तरकरण सं.1947 दिनांक 15.7.2016को पारित किया गया जिसकी जानकारी अपीलांट को दिनांक 5.2.19 को रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 5 तक से हुई जिस पर अपीलांट ने तहसील कार्यालय सायला में बंटवाडा नकल हेतु आवेदन किया,नकले दिनांक 11.2.19को मिलने पर अपील पेश की है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सायला द्वारा बंटवाडा बिना स्वीकृत किये, नामान्तरकरण 1947दिनांक 15.7.2016 को स्वीकृत का आदेश विधि विधान व रेकर्ड के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट कभी भी लोक अदालत केम्प चौराउ में आकर न तो अपने अंगुष्ठ निशान किये है और न अंगुष्ठ निशान है और न ही तहसीलदार के सामने अंगुष्ठ निशान किये है।रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 5 ने यह बात बताई थी कि उनके द्वारा खातेदारी भूमि में ऋण लेना है ,खातेदारी सामलाती राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने से सहमति के तौर पर अंगुठा करना है,अपीलांट ने विश्वास में रहकर अंगुठा किया परन्तु बंटवाडा में जो हस्ताक्षर निशान है वह अपीलांट का नहीं है। नामान्तरकरण सं. 1947 दिनांक 15.7.2016 में कृषि भूमि अलग अलग खसरे में दी गई है जबकि एक ही चक में कृषि भूमि दी जानी चाहिए। पूर्व में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं.1 से 5 के बीच आपसी सहमति से इनके पिता गणेशारामजी के जीवनकाल में एक ही खसरे पर काबिज करवाया था ,उसकी भी अनदेखी की गई है। अपीलांट की जो पहचान दी है वह भी गलत है, अपीलांट कभी भी तहसीलदार के रूबरू अंगुठा नही किया है। अतःअधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सायला बंटवाडा स्वीकृत आदेश कमांक /1064–67दिनांक 15.7.2016,नामान्तरकरण सं. 1947 दिनांक 15.7.2016निरस्त करावे तथा पुनःकृषि भूमि का मान रूप से व एक ही चक में का बंटवाडा करने हेतु तहसीलदार सायला को भेजी जावे। अपीलांट ने अपील के साथ शपथपत्र,धारा 5 लिमिटेशन एक्ट प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र तथा फहरिस्त के साथ बंटवाडा आदेश दि.20.8.2002 आदि की नकले पेश की,इस पर अपील दर्ज कर रेस्पोडेन्ट्स को सम्मन जारी किया व रैकार्ड तलब किया गया।

2. अपीलांट के धारा 5भारतीय परिसीमा अधिनियम के प्रार्थनापत्र के खण्डन में रेस्पोडेन्टगण ने कोई जवाब पेश नही किया गया हैं।

3. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई।अपीलांट के अभिभाषक ने अपने अपील प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराया व बताया कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सायला द्वारा बंटवाडा बिना स्वीकृत किये, नामान्तरकरण 1947दिनांक 15.7.2016 को स्वीकृत का आदेश विधि विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट कभी भी लोक अदालत केम्प चौराउ में आकर न तो अपने अंगुष्ठ निशान किये है और न अंगुष्ठ निशान है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 5 ने यह बात बताई थी कि उनके द्वारा खातेदारी भूमि में ऋण लेना है ,खातेदारी सामलाती राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने से सहमति के तौर पर अंगुठा करना है,अपीलांट ने विश्वास में रहकर अंगुठा किया, नामान्तरकरण सं. 1947 दिनांक 15.7.2016 में कृषि भूमि अलग अलग खसरे में दी गई है जबकि एक ही चक में कृषि भूमि दी जानी चाहिए।अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर तहसीलदार सायला का आदेश दिनांक 15. 7.16(क्रमांक1064—67)व ना.क.सं.1947दिनांक 15.7.16 निरस्त करावे। अपीलांट वकील ने इसके समर्थन में आर आर टी 2018(1)पेज 601,आर आर टी 2011(2)पेज 1350, आर आर टी (1)पेज 57,आर आर टी (1)पेज 658 की नजीरे पेश की। इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट सं.1से 5 के वकील ने बहस में बताया कि सभी सहखातेदार एवं अंशधारितयों ने लिखित में अपनी खातेदारी भूमि मौजा चौराउ को आपसी सहमति से अपने आवेदनानुसार बंटवाडा किये जाने हेतु अपने हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान सरपंच,ग्राम पंचायत चौराउ से पहचान करवाकर तहसीलदार सायला को केम्प में दिनांक 16.5.2016 को पेश किया ,तहसीलदार सायला द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53(2) की पालना में रिपोर्ट हेतु पटवारी/भू अभिलेख निरीक्षक को प्रेषित की ,बंटवाडा अनुसार मौके पर काबिज होने व कोई विवाद या स्थगन आदेश नही होने पर ,बयान तथा ऋण बाबत् अन्डर टेकिंग तथ बंटवाडा में अपनी व्यक्तिगत सहमति,नक्शें में भी अपने हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान करने पर पहचानकर्ता के हस्ताक्षर बाद तहसीलदार सायला ने बंटवाडा तस्दीक कर पारित किया जिसका अमल दरामद भी हो चुका है। अपील करीब साढे तीन वर्ष बाद पेश करने से अपील म्याद बाहर है। बंटवाडा आपसी सहमति से होने से अपील खारिज योग्य है।अतःअपीलांट की अपील खारिज करावे।रेस्पोडेन्ट सं.1 से 5 के वकील ने इसके समर्थन में आर आर डी दिनांक 14.11.2015 पेज 678व आर आर टी 2016(1)पेज 259 की नजीरे पेश की।

4. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया व रैकार्ड का अवलोकन किया । बंटवाडा के लेख्यपत्र पर सभी सहखातेदारान् के हस्ताक्षर /अंगुष्ठ निशान है जिसकी पहचान सरपंच, ग्राम पंचायत चौराउ द्वारा की

गयी है। उक्त विभाजन पत्र पर दिनांक 16.5.2016 को पटवारी हल्का चौराउ व भू अभिलेख निरीक्षक बावतरा द्वारा प्रमाणिकरण किया गया है कि परस्पर सहमति से किये गये बंटवाडा अनुसार खातेदारान मौके पर काबिज है। भूमिधारी तहसीलदार सायला द्वारा दिनांक 15.7.2016को बंटवाडे की स्वीकृति जारी की है। विभाजन पत्र के साथ सहखातेदारान् के बयान भी लिये गये है तथा विभाजन के ट्रेस नक्शा पर भी सभी सहखातेदारान् के अंगुष्ठ निशान/हस्ताक्षर किये हुए है।

दिनांक 16.5.16 को स्टाम्प 500/—का आपसी सहमति से किए गये बंटवाडा के साथ संलग्न कर उपयोग में लाया गया है, में भी सह खातेदारान् के अंगुष्ठ निशान/हस्ताक्षर अंकित है जिसकी पहचान सरपंच,ग्राम पंचायत चौराउ द्वारा दी गई है।

उक्त प्रकरण में रेस्पोडेन्ट सं.1 से 6 के वकील द्वारा प्रस्तुत आर आर डी पेज 678 ,आदम व अन्य बनाम निजाम व अन्य, निर्णय दिनांक 20.8.2015में माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर की नजीर में प्रतिपादित किया है कि Application was moved by all the co-tenents and co-shares of the disputed land before the Tehsildar, Gida to partition the disputed land by mutual consent under Section 53(2)(i) of the Act. All the co-shares and co-tenants had placed their signature and thumb impression on the application which was verified and attested by Sarpanch, Gram Panchayat, Kasumbla Bhatiyan. All the co-tenants with their consent had mutually partitioned the land and thereafter the mauka report was submitted and the Tehsildar ordered for mutual partitioning of the land with the consent of all the co-shares. The trace map was prepared with the consent of all the co-shares placing their signature and thumb impression attested by the Sarpanch. It is well settled principle of law that if the co-tenants divided up their holdings by agreement in accordance with Section53(2)(i) of the act, then the proceedings and the order thereof cannot be challenged.उक्त नजीर जो इस अपील में पूर्णतया लागू होती है।

उक्त अपील का निर्णय म्याद के बिन्दु पर नहीं किया जाकर व मैरिट पर करने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नजीरे आर आर टी 2018(1) पेज

601 व आर आर टी 2011(2)पेज 1350 इसमें लागू नहीं होती है, इस अपील का निर्णय सहमति पत्र के बाहर पारित नही किया जाने से आर आर टी 2011(1)पेज 57 की नजीर तथा कपट अथवा मिथ्या कथन पर सहमति पर आधारित समझौता नही होने से आर आर टी 2012(1)पेज 658 की नजीर इसमें लागू नहीं होती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

आदेश

अपीलांट द्वारा तहसीलदार सायला के बंटवाडा आदेश क्रमांक 1064–67 दिनांक 15.7.2016के विरूद्ध प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल सुदा मानी जाकर,नम्बर से कम होकर,बाद तकमील तरतीब के बाजाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

S.d. 24/7/19
(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

निर्णय आज दिनांक 24.7.2019 को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

S.d. 24/7/19
(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Chhagan Lal Goyal
Date: 2019.12.18 16:08:18 IST
Reason: SelfAttested
Location: